



डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक:लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 1226/2023

दिनांक: 30.05.2023

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 29.05.2023 को सम्पन्न एन०ई०पी०-2020 के दिशानिर्देशों सम्बन्धी बैठक की संस्तुति तथा तत्क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुक्रम में वर्ष/सत्र 2023 हेतु या अग्रेतर निर्देशों तक अद्यतन दिशा निर्देश जिन्हें क्रियान्वित किया जाना है, निम्नवत् हैं।

- सुझाव हेतु प्रेषित एन०ई०पी० दिशा निर्देश (2023) की धारा 7.01 को निम्न रूप से माना जाए
स्नातक स्तर पर कला संकाय/विज्ञान संकाय/वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित विषयों तथा परास्नातक स्तर पर विषय आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की पात्रता निम्नवत् निर्धारित की जाएगी-

प्रवेश का संकाय/	प्रवेश हेतु विद्यार्थी की पात्रता	
	विषय वर्ग	पात्रता
विज्ञान संकाय(स्नातक)	इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग	इंटरमीडिएट उत्तीर्ण
कला संकाय(स्नातक)	इंटरमीडिएट कला वर्ग या विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग कृषि वर्ग या व्यवसायिक वर्ग	इंटरमीडिएट उत्तीर्ण
वाणिज्य संकाय(स्नातक)	इंटरमीडिएट वाणिज्य वर्ग या कला वर्ग या विज्ञान वर्ग कृषि वर्ग अथवा व्यवसायिक वर्ग	इंटरमीडिएट उत्तीर्ण
एम०ए०	बीए तृतीय वर्ष के विषय/(स्नातक)के विषय	बी०ए०/(स्नातक)उत्तीर्ण
एम.एस.सी०	बीएससी तृतीय वर्ष के विषय	बी०एस-सी उत्तीर्ण
एम०काम०	बी०काम०	बी०काम० उत्तीर्ण



डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)

2. सुझाव हेतु प्रेषित एन0ई0पी0 दिशा निर्देश (2023) की धारा 8.01 एवं 8.02 को निम्न रूप से क्रियान्वित किया जाए—

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषय निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से 03 मेजर विषयों का चुनाव चयन-सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाना होगा।

1. हिन्दी	14. समाजशास्त्र (प्रायोगिक)
2. संस्कृत	15. मनोविज्ञान (प्रायोगिक)
3. अंग्रेजी	16. शिक्षाशास्त्र (प्रायोगिक)
4. उर्दू	17. गणित (प्रायोगिक)
5. सिन्धी	18. संगीत (प्रायोगिक)
6. दर्शनशास्त्र (प्रायोगिक)	19. चित्रकला (प्रायोगिक)
7. अर्थशास्त्र (प्रायोगिक)	20. समाजकाय (प्रायोगिक)
8. लोक प्रशासन	21. शारीरिक शिक्षा (प्रायोगिक)
9. प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	22. कम्प्यूटर साइंस (प्रायोगिक)
10. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)	23. गृहविज्ञान (प्रायोगिक)
11. जैनेलॉजी	24. आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (प्रायोगिक)
12. भूगोल (प्रायोगिक)	25. रक्षा एवं स्ट्रॉतेजिक अध्ययन (सैन्य विज्ञान) (प्रायोगिक)
13. राजनीतिशास्त्र (प्रायोगिक)	

विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश (कला संकाय)

a) विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन नहीं करेगा।



- b) विद्यार्थी को 'प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व', जैनेलॉजी तथा 'इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)' विषयों में से किसी एक ही विषय का चयन करना होगा।
- c) 'समाजशास्त्र' विषय तथा 'समाज कार्य' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- d) 'राजनीति शास्त्र' विषय तथा 'लोक प्रशासन' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- e) 'मनोविज्ञान' विषय तथा 'शिक्षाशास्त्र' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
3. सुझाव हेतु प्रेषित एन0ई0पी0 दिशा निर्देश (2023) की धारा 8.01 एवं 8.02 को निम्न रूप से क्रियान्वित किया जाय
- विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषयों को निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से 03 मेजर विषयों का चुनाव चयन-सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाना होगा।

Group-A	Group-B	Group-C
1. Physics	1. Chemistry	1. Botany
2. Mathematics	2. Geology	2. Zoology
3. Electronics	3. Geography	3. Bio-Chemistry
4. Computer Application	4. Environmental Science	4. Bio-Technology
	5. Defence & Strategic Studies	5. Microbiology
		6. Seed Technology

विषय चयन सम्बन्धी निर्देश (विज्ञान संकाय)

- a) प्रत्येक-विषय के लिए Pre-requisite को Qualify करना होगा।
- b) विषय-संयोजन के लिए विद्यार्थी Group A या Group B या Group C से पृथक-पृथक न्यूनतम 02 अथवा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।
- c) विद्यार्थी विषय संयोजन के लिए Group A और Group B से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।
- d) विद्यार्थी विषय संयोजन के लिए Group B और Group C से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।



डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)

- e) छात्र द्वारा Group A और Group C के विषय सम्मिलित रूप से विषय संयोजन के लिए चयनित नहीं किये जायेंगे।
- f) छात्र द्वारा Geography विषय तथा Environmental Sciences विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
- 4- सुझाव हेतु प्रेषित एन०ई०पी० दिशा निर्देश (2023) की धारा 8.06 से 8.14 तक समस्त प्राविधान पूर्वतम माने जाय परन्तु 8.09 के अन्तर्गत विज्ञान विषय संयोजनो के साथ किसी एक विषय में अधिकतम 150 के स्थान पर 180 विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा।
- 5- सुझाव हेतु प्रेषित एन०ई०पी० दिशा निर्देश (2023) की धारा 6.09 में वर्णित परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परास्नातक पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित Pre-requisite के अनुसार किया जायेगा।
- 6- सुझाव हेतु प्रेषित एन०ई०पी० दिशा निर्देश (2023) की धारा 13.6 से 13.11 तक निम्न रूप में क्रियान्वित किया जाय
'पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय (paper) के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन महाविद्यालय के प्राचार्य/विषय से सम्बन्धित शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। सतत् मूल्यांकन में 25 अंक का विभाजन उस विषय में वर्णित विभाजन जो सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। अन्य सम्बन्धित व्यवस्था निति महाविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- सुझाव हेतु प्रेषित एन०ई०पी० दिशा निर्देश (2023) की धारा 13.13 पूर्ववत मानी जाय। इसके अतिरिक्त आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षको की सहमति (Consent) हेतु मो० फोन के माध्यम से ओ०टी०पी० के द्वारा Authentication भी सुनिश्चित किया जाएगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. विद्या परिषद एवं कार्य परिषद को सूचनार्थ
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, विश्वविद्यालय परिसर
3. समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियन्त्रक
6. पत्रावली


कुलसचिव